

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम  
(सरकार का प्रतिष्ठान)  
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./प्रशा./एफ/टेलीफोन/2019/


8425

दिनांक : 28-7-20

परिपत्र

निगम के सभी भण्डारगृहों पर लैण्डलाईन फोन होना अनिवार्य है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में कतिपय भण्डारगृहों पर लगे लैण्डलाईन फोन काफी समय से खराब है/बन्द है/या अस्तित्व में ही नहीं है। इस सम्बन्ध में समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धकों/भण्डार प्रबन्धकों/प्रभारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने भण्डारगृह पर लैण्डलाईन फोन को दुरुस्त अवस्था में बनाये रखना सुनिश्चित करें। यदि किसी भण्डारगृह पर वर्तमान में लैण्डलाईन कनेक्शन स्थापित नहीं है तो वे बी.एस.एन.एल. के सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर लैण्डलाईन/WLL कनेक्शन लेने की कार्यवाही करें। बी.एस.एन.एल. द्वारा कनेक्शन देने में असमर्थता प्रकट की जाती है तो अन्य सर्विस प्रदाता कम्पनी से सम्पर्क कर भण्डारगृह पर लैण्डलाईन/WLL कनेक्शन प्रधान कार्यालय की अनुमति प्राप्त करते हुये लगवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को दिनांक 13.08.2020 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



(राज वर्धन)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ/पालनार्थ:-

1. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. लेखाधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रबन्धक, राज्य भण्डारगृह।
6. नोटिस बोर्ड।



सहायक निदेशक (प्रशासन)